क्रम संख्या—48

रजिस्ट्रेशन नम्बर एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी० 91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 फरवरी, 2009
माघ 30, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग—1

संख्या 340/79-वि-1-09-1(क)36-2008
लखनऊ, 19 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर दिनांक 18 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

लखनऊ उत्तर प्रदेश में विकलांगजन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन एवं उनसे संबंधित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) यह अधिनियम डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 19 सितम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

छ. ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण कियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

सामान्य परिषद के अधिवेशन

12. (1) सामान्य परिषद वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और उसके अधिवेशनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना प्रदान की जायेगी।

(2) सामान्य परिषद का अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा, सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) सामान्य परिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति की जायेगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि सामान्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) यदि सामान्य परिषद द्वारा आत्यायिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष सामान्य परिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाये। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के संबंध में सामान्य परिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल सूचित किया जायेगा और कागज-पत्रों को सामान्य परिषद के आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन कुलपति द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद

13. (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद में निहित होगी, जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों पर नियंत्रण और प्रशासन रखेगी।

कार्य परिषद का गठन

14. (1) कार्यपरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

एक- कुलपति।

दो- सामान्य परिषद के तीन सदस्य, जो सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

तीन- निदेशक विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार।

चार- निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

पाँच- विश्वविद्यालय का कुलसचिव।

छः- कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रख्यात शिक्षाविद।

सात- सामाजिक ख्याति प्राप्त तीन व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे।

आठ- महासचिव या सचिव डा० शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ।

नौ- ज्येष्ठता के अनुसार वक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक जाने आचार्य।

(2) कुलपति कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कुल सचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

कार्य परिषद की पदावधि

15. (1) जहाँ कोई व्यक्ति सदस्य द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद का सदस्य है वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।